

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

16 दिसम्बर, 2003 / अग्रहायण 25, 1925 (शक)

संख्या: 02

तृतीय विधान सभा के पहले सत्र का प्रारंभ

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि तृतीय विधान सभा का पहला सत्र 18 दिसम्बर, 2003 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054 में प्रारंभ होगा।

(2) पहले सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन

पहले सत्र में कार्यनिष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर दिनांक 18, 19, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2003 के लिए निर्धारित की गई हैं।

18 दिसम्बर, 2003

19 दिसम्बर 2003

22 दिसम्बर 2003

23 दिसम्बर 2003

नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

अध्यक्ष का निर्वाचन

उप राज्यपाल का अभिभाषण

उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

(3) विधान सभा की बैठकों का समय

जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, विधान सभा की बैठकें नियत की गई तिथियों को अपराह्न 2.00 बजे से आरम्भ होंगी और तब तक चलेंगी जब तक कि उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये।

बैठक के दिन सदस्यों को अपने आसन ग्रहण करने के उद्देश्य से गणपूर्ति की घंटी अपराह्न 1.55 बजे बजाई जायेगी।

प्रथम दिन की बैठक का प्रारम्भ राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम्" की धुन के साथ होगा।

(4) निर्वाचन प्रमाण-पत्र

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि विधान सभा सचिवालय द्वारा नव-निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन प्रमाण-पत्र जमा कराने एवं बायो-डाटा फॉर्म आदि भरने हेतु सचिवालय में विशेष स्वागत कक्ष की स्थापना 10 से 12 दिसम्बर, 2003 तक की थी।

जिन सदस्यों ने अभी तक निर्वाचन प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराये हैं एवं यह सूचित नहीं किया है कि वे किस भाषा में शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, उनसे अनुरोध है कि वे कृपया यह भी सूचित करें कि वह शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और कौन सी भाषा में शपथ लेना/प्रतिज्ञान करना चाहते हैं ताकि उस तरह का प्रबन्ध किया जा सके।

सदस्यों द्वारा यह सूचना 17 दिसम्बर, 2003 अपराह्न 5.00 बजे तक दी जा सकती है।

(5) पहले सत्र के दिन सदन में बैठने की व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-5 के अनुसार सदस्यों को स्थायी स्थान प्रदान किये जाने तक सदन के प्रत्येक सदस्य को अस्थायी रूप से स्थान आबंटित किया गया है। अस्थायी रूप से सदस्यों को आबंटित स्थानों (सीटों) की संख्या के विवरण की एक प्रति अलग से भेजी जा रही है।

(6) शपथ या प्रतिज्ञान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-4 के साथ पठित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा-12 की अपेक्षा के अनुसार सदस्य 18 दिसम्बर, 2003 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 में शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे ।

जो सदस्य 18 दिसम्बर, 2003 को शपथ या प्रतिज्ञान लेने में असमर्थ हैं, वे बाद में विधान सभा की किसी भी बैठक में सचिव को प्रातः 11.00 बजे तक सूचना देकर शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।

शपथ या प्रतिज्ञान करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है: -

"सचिव द्वारा किसी सदस्य का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सदस्य अपने स्थान से सचिव की मेज के दाईं ओर पहुंचेंगे, जहां उन्हें शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रपत्र की एक प्रति दी जायेगी । सदस्य अध्यक्ष की ओर मुँह करके शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और उसके बाद अध्यक्ष के आसन तक आयेंगे, अध्यक्ष से हाथ मिलायेंगे अथवा उनका अभिवादन करेंगे और अध्यक्ष इसके बाद सदस्य को सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति देंगे । सदस्य अध्यक्ष के पीछे से होकर पटल के दूसरी ओर जायेंगे, वहां वह सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और नामावली में हस्ताक्षर करने के बाद वह अपना आसन ग्रहण करेंगे । "

(7) अध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष का निर्वाचन 19 दिसम्बर, 2003 को होगा । इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं प्रक्रिया सहित अलग से समाचार भाग-2 जारी किया जा रहा है ।

अध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्तावों की सूचना 18 दिसम्बर, 2003 को प्रातः 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय (नोटिस ऑफिस) में दी जा सकेगी ।

(8) उपराज्यपाल का अभिभाषण

उपराज्यपाल 22 दिसम्बर, 2003 को विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 में सदस्यों को सम्बोधित करेंगे । इस संबंध में अलग से समाचार भाग-2 जारी किया जा रहा है ।

(9) चर्चा में सदस्यों का भाग लेना

जो माननीय सदस्य सत्र के दौरान किसी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने मुख्य सचेतक/सचेतकों के माध्यम से अपना नाम विधान सभा सचिव को भेजें ।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
16th December, 2003/Agrahayana 25, 1925 (Saka)

No. 02

1. COMMENCEMENT OF THE FIRST SESSION OF THE THIRD LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the First Session of the Third Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on the 18th December 2003 in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

2. ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING THE FIRST SESSION: Sitzings of the Legislative Assembly have been provisionally fixed for:

18 th December 2003	Oath/Affirmation of the newly elected members
19 th December 2003	Election of the Speaker
22 nd December 2003	Lieutenant Governor's Address
23 rd December 2003	Motion of Thanks on the LG Address

3. TIME OF SITTINGS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY:

Unless the Speaker otherwise directs, the Legislative Assembly will, on days when there are sittings, sit from 2.00 PM and continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung at 1.55 PM to enable Members to take their seat.

The Sitting on the first day will commence with the recitation of national song 'Vande Mataram'.

4. CERTIFICATE OF ELECTION:

Hon'ble Members would recall that the Assembly Secretariat had set up a Reception Counter for the newly elected Members from 10th December 2003 to 12th December 2003 so as to enable them to deposit their Election Certificates, fill up the Bio-data proforma, and to complete certain other formalities.

Those Members who have not so far deposited copies of Election Certificates or have not intimated whether they would be taking oath or affirmation and in which language, may kindly do so at the earliest so that necessary arrangements in this regard are made.

Members can submit these information latest by 5.00 PM of 17th December 2003.

5. SEATING ARRANGEMENT DURING FIRST SESSION:

Each Member of the House has been provisionally allotted a seat pending allotment of seat by the Speaker under Rule 5 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Assembly. A copy of the statement showing the seat number provisionally allotted to the Members is being sent separately.

6. OATH OR AFFIRMATION:

Members will make and subscribe the oath or affirmation as required under section 12 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 read with Rule 4 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 18th December 2003 from 2.00 PM onwards in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

A Member who is unable to make and subscribe the oath or affirmation on 18th December 2003 may do so on any subsequent sitting of the Assembly after giving advance intimation to the Secretary by 11.00 AM on that day.

The following procedure has been laid down for making and subscribing the oath or affirmation:

On the name of the Member being called by the Secretary, the Member will proceed from the place he is occupying to the right side of the Secretary's table, where a copy of the form of oath or affirmation as the case may be, will be handed over to him.

The Member will face the Chair while making the oath or affirmation and will then go upto and shake hands with or wish the Chair, who will then give the Member permission to take his seat in the House.

The Member will pass behind the Chair to the other side of the Table where he will sign the Roll of Members. After signing the Roll of Members, he will take his seat in the House."

7. ELECTION OF SPEAKER:

Election of Speaker will be held on the 19th December 2003. A separate Bulletin-II is being issued giving detailed information and procedure in this regard. Notices of motions for the election of the Speaker can be given before noon on the 18th December 2003, in the Notice Branch of the Assembly Secretariat.

8. LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS:

The Hon'ble Lieutenant Governor will address the Legislative Assembly on 22nd December 2003 at 2.00 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

9. MEMBERS PARTICIPATION IN THE DEBATE:

Members who desire to participate in the debate/discussion during the session are requested to forward their requests to the Assembly Secretary through their concerned Chief Whip/Whips.

SIDDHARATH RAO
SECRETARY

318